रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 183] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 20, 1975/भाद्र 29, 1897
No. 183] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 20, 1975/BHADRA 29, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
No.
Date.
GOVT OF INDIA

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 20th September 1975

SUBJECT.—*Import of arsenic disulphide by actual users engaged in the manufacture of Ayurvedic and Unani Crude drugs in terms of import policy for the period April* 1975—*March* 1976.

No. 98-ITC(PN)/75.—Attention is invited to item No. 3 in list 'C' of Annexure 5 to Appendix 19 of the Import Trade Control Policy Red Book (Vol. I) for the period April 1975—March 1976, in terms of which import of arsenic disulphide is allowed to small scale units engaged in the manufacture of Ayurvedic and Unani Crude drugs upto 1¼ per cent of the face value of the licence, or Rs. 500, whichever is less.

2. On a review of the position, it has been decided that the item arsenic disulphide should be allowed to the small scale units on restricted basis, as indicated in para 1 above, subject to the condition that in each case the recommendation from the concerned State Drugs Control Authority should be furnished by the applicant, indicating the actual value to be allowed within the restricted value referred to above.

3. Import policy as contained in the Red Book (Volume I) for the period April 1975—March 1976 may be deemed to have been amended to the extent indicated above.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1975

विषय.—अप्रैल 1975–मार्च 1976 अवधि के लिये आयात नीति के अनुसार आयुर्वेदिक एवं यूनानी अपरिष्कृत औषध के विनिर्माण में लगे हुए वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा आर्सेनिक डिसल्फाइड का आयात ।

सं० 98-आई० टी० सी० (पी० एन०)/75.—अप्रैल, 1975–मार्च 1976 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति रेडबुक (वा०-1) के परिशिष्ट 19 के अनुबन्ध 5 की सूची 'सी' में मद सं० 3 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार आयुर्वेदिक एवं यूनानी अपरिष्कृत औषध के विनिर्माण में लगे हुए लघु पैमाने एककों को लाइसेंस के अंकित मूल्य के $1\frac{1}{4}$ प्रतिशत तक या 500 रुपए इन में जो भी कम हो, के लिए आर्सेनिक डिसल्फाइड के आयात करने की स्वीकृति है ।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि लघु पैमाने एककों को उपर्युक्त कंडिका 1 में यथा संकेतित प्रतिबन्धता के आधार पर आर्सनिक डिसल्फाइड मद की स्वीकृति दी जानी चाहिए और वह इस शर्त के अधीन की आवेदक द्वारा प्रत्येक मामले में सम्बद्ध राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारी से प्राप्त सिफारिश भेजी जानी चाहिए जिसमें उपर्युक्त उल्लिखित प्रतिबन्धित मूल्य के भीतर स्वीकृत किये जाने वाले वास्तविक मूल्य का संकेत हो ।

3. अप्रैल 1975–मार्च 1976 अवधि के लिए रेडबुक (वा०–1) में यथा निहित नीति को उक्त संकेतित सीमा तक संशोधित किया गया समझा जाए ।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975